रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 12, 2008/भाद्र 21, 1930
No. 18] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 12, 2008/BHADRA 21, 1930

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2008

का.नि.आ. 25(अ).—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 की धारा 12 के साथ पठित धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र बल अधिकरण (वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां) नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से सशस्त्र बल अधिकरण अधिनियम, 2007 (2007 का 55) अभिप्रेत है;

(ख) "अध्यक्ष" से अधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) "अधिकरण" से सशस्त्र बल अधिकरण अभिप्रेत है ।

3. अतिरिक्त न्यायपीठ के उस स्थान से भिन्न किसी स्थान पर अधिवेशन जहां वह सामान्यतया अधिविष्ठ होगी. — यदि किसी समय किसी अतिरिक्त न्यायपीठ के उपाध्यक्ष का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसमें यह आवश्यक है कि उक्त न्यायपीठ को उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर आने वाले किसी स्थान पर, जो उस स्थान अथवा स्थानों से भिन्न है जहां वह सामान्यतया अधिविष्ठ होती है, अधिविष्ठ होना आवश्यक है तो वह अध्यक्ष की पूर्व-सहमति से निदेश दे सकेगा कि अतिरिक्त न्यायपीठ अपने अधिवेशन ऐसे किसी उपयुक्त स्थान पर करेगी ।

4. अध्यक्ष की शक्तियां.—अध्यक्ष की वही शक्तियां होंगी जो वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1978, साधारण वित्तीय नियम, 1963, मूल और अनुपूरक नियम, केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972, केन्द्रीय सिविल सेवा (कार्यग्रहण अवधि) नियम, 1979, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 और साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 की बाबत केन्द्रीय सरकार के किसी विभाग को प्रदत्त की गई हैं :

परन्तु इन शक्तियों का प्रयोग सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किन्हीं प्रक्रियात्मक या अन्य अनुदेशों के अधीन रहते हुए और अधिकरण के वित्त सलाहकार तथा मुख्य लेखा अधिकारी की सलाह अभिप्राप्त करने के पश्चात् किया जाएगा :

परन्तु यह और कि अध्यक्ष की सक्षमता के भीतर न आने वाले मामलों की बाबत वित्त मंत्रालय या किसी अन्य प्राधिकरण की सहमति रक्षा मंत्रालय के माध्यम से अध्यक्ष द्वारा अभिप्राप्त की जाएगी ।

[फा. सं. 1(1)/2008-डी (एएफटी सेल)]

अजय तिर्की, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th September, 2008

S.R.O. 25(E).—In exercise of the powers conferred by Section 41 read with Section 12 of the Armed Forces Tribunal Act, 2007, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Armed Forces Tribunal (Financial and Administrative Powers) Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in Official Gazette.

2. Definitions.— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Act' means the Armed Forces Tribunals Act, 2007 (55 of 2007);

(b) "Chairperson" means the Chairperson of the Tribunal;

(c) "Tribunal" means the Armed Forces Tribunal.

3. Sitting of an additional Bench at place other than the place where it shall ordinarily sit.—If at any time the Vice-Chairperson of any additional Bench is satisfied that circumstances exist which render it necessary to have sitting of the said Bench at any place falling within its territorial jurisdiction, other than the place or places at which it ordinarily sits, he may with the previous consent of the Chairperson direct that the additional Bench shall hold its sittings at any such appropriate place.

4. Powers of Chairperson.—The Chairperson shall have the same powers as are conferred on a Department of the Central Government in respect of the delegation of Financial Powers Rules, 1978, the General Financial Rules, 1963, the Fundamental and Supplementary Rules, the Central Civil Services (Leave) Rules, 1972, the Central Civil Services (Joining Time) Rules, 1979, the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, the Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 and the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 :

Provided that the exercise of the financial powers shall be subject to any procedural or other instructions issued from time to time by the Government and after obtaining the advice of the Financial Adivser and Chief Accounts Officer of the Tribunal :

Provided further that in respect of matters not within the competence of the Chairperson, concurrence of the Ministry of Finance or any other authority shall be obtained by the Chairperson through the Ministry of Defence.

[F. No. 1(1)/2008-D (AFT Cell)]

AJAY TIRKEY, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.